कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक करौली

:: कार्यालय आदेश ::

निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा– माध्य/संस्था/एफ–1/12102/ शा.शि. ग्रेड III/ सी.भ./एन.जे/2013–16 दिनांक 02.02.2018 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा चयनित काउन्सिलिंग (परामर्श) में उपस्थित हुए निम्नांकित आशार्थियों को शा.शि. प्रशिक्षण अनुदेशक तृतीय वेतन श्रृंखला को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेबल–10 में प्रोवेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी)के रूप में 2 बर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/– प्रतिमाह/विद्यमान वेतन पर माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्रदान की जाती है।

संस्थाप्रधान आशार्थियों को कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित निर्देशों का अवलोकन कर अपेक्षित कार्यवाही करें –

1. अभ्यर्थी से संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचार की रिर्पोट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करें। पूर्व मे राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1) डी.ओ.पी./ए–II/ 95 दिनांक 8.4.2003 की पालना में दिनांक 1.6.02 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र रु. 10/– के स्टॉम्प पर कार्यग्रहण के समय संस्थाप्रधान को प्रस्तुत करें।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता संबंधी जांच की सत्यता के लिये रु. 10/– के स्टॉम्प पर शपथ पत्र इस उल्लेख के साथ कि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य नहीं पायी गई तो उन्हें प्रदत्त नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगे। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान कार्यग्रहण कराने से पूर्व मूल दस्तावेजो से करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पायी जाती है तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र ले लें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनायें व दस्तावेज सही हैं, इनके त्रृटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं इनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 4.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे एवं संस्थाप्रधान कार्यग्रहण कराने के उपरान्त इनकी प्रविष्टि शालादर्पण में इन्द्राज करावें।
7. नियुक्त कामिको को दिनांक 28.2.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा।

क्र. स.	मेरिट नम्बर	नाम अभ्यर्थी एवं पिता का नाम	पता	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	R-981	राजकुमार खटीक पुत्र मेवालाल खटीक	खटीक मोहल्ला गुवाडी जिला चित्तोडगढ	19.06.1981	SC	SCM	रामावि खेडाजमालपुर

(हरीराम मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक करौली

क्रमांक –जिशिअ/माशि/करौली/संस्था–I/फा.नियुक्ति/2018/ 379 दिनांक 12.02.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1–प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2–शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।

3–सचिव राजस्थान लोकसेवा आयोग अजमेर।
4–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5–उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा भरतपुर।
6–संबंधित संस्थाप्रधान।
7–सबंधित अभ्यर्थी।
8–रक्षित पत्रावली।

(हरी सिंह मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक करौली